

(न. २५ म. ५)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 106/2022 राजस्व वाद

1. मैसर्स करणी ग्रेनाईट ग्राम पोस्ट सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये पार्टनर घीसाराम पुत्र श्री छोगाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी- गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मैसर्स करणी ग्रेनाईट ग्राम पोस्ट सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये पार्टनर भारत सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. मैसर्स करणी ग्रेनाईट ग्राम पोस्ट सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये पार्टनर मदन लाल भण्डारी पुत्र श्री लालचन्द भण्डारी आयु वयस्क निवासी- आयुर्वेद गली, भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. मैसर्स करणी ग्रेनाईट ग्राम पोस्ट सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये पार्टनर श्रीमती सुमित्रा कंवर पत्नी श्री मानसिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— वादीगण

बनाम

1. श्रीमती अर्चना कंवर पत्नी श्री रामप्रताप सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. रितिका कंवर पुत्री श्री रामप्रताप सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. जयप्रताप पुत्र श्री रामप्रताप सिंह चारण आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती अर्चना कंवर पत्नी श्री रामप्रताप सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन,
2. एकपक्षीय-
2. परोकार सरकार

-अधिवक्ता वादी
 प्रतिवादीगण
 -अधिवक्ता-प्रतिवादी
 दिनांक- 10.01.2023

:: निर्णय ::

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद सेहणुन्दा पटवार हल्का सेहणुन्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई ,चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या 01 से 03 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनने के प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने

**उपखंड अधिकारी पदेन
 सहायक कलेक्टर करेड़ा**

वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीगणा के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

आदेश

सरहद सेहणुन्दा पटवार हल्का सेहणुन्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 2093/54 रकबा 0.5311 हैक्टर, आराजी नम्बर 239 रकबा 0.1265 हैक्टर, आराजी नम्बर 240 रकबा 0.0759 हैक्टर, आराजी नम्बर 241 रकबा 0.1138 हैक्टर, आराजी नम्बर 242 रकबा 0.0632 हैक्टर, आराजी नम्बर 246 रकबा 0.1391 हैक्टर, आराजी नम्बर 247 रकबा 0.0506 हैक्टर, आराजी नम्बर 53 रकबा 0.1391 हैक्टर, आराजी नम्बर 54 रकबा 1.2267 हैक्टर, आराजी नम्बर 55 रकबा 0.2529 हैक्टर, आराजी नम्बर 56 रकबा 0.0379 हैक्टर, आराजी 57 रकबा 0.0632 हैक्टर कुल किता 12 बारह रकबा 2.8200 हैक्टर भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(1) खातेदार का नाम- वादी- 1. मैसर्स करणी ग्रेनाईट ग्राम सेहणुन्दा पटवार हल्का सेहणुन्दा भू.अ.नि.क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये पार्टनर घीसाराम पुत्र श्री छोगाराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी- गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) (2) भारत सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) (3) मदन लाल भण्डारी पुत्र श्री लालचन्द भण्डारी आयु वयस्क निवासी- आयुर्वेद गली, भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0) (4) श्रीमती सुमित्रा कंवर पत्नी श्री मानसिंह चारण आयु वयस्क निवासी- सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के नाम पर -।

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1	239	0.1265
2.	240	0.0759
3.	241	0.1138
4.	242	0.0632
5.	246	0.1391
6.	247	0.0506
7.	2093/54	0.2249
8.	54	1.1501
9.	55	0.1449
10.	53	0.1391
11.	57	0.0632
कुल	योग 11	2.2913

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

(2) खातेदारान- प्रतिवादी-1. अर्चना कंवर पत्नी रामप्रताप सिंह (2) नाबालिग जयप्रताप पुत्र रामप्रताप सिंह संरक्षक माता अर्चना कंवर (3) रितिकाकंवर पुत्री रामप्रताप सिंह सभी का हिस्सा बराबर जाति चारण खातेदार के नाम पर

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर में)
1	2093 / 154	0.3062
2.	54	0.0550
3.	54	0.0216
4.	55	0.1080
5.	56	0.0379
योग	कुल किता 05	0.5287 हैक्टर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी पदेन

सहायक कलक्टर करेडा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)